

 1 Jun 2020Social media
Share this article 

रायपुर : स्ट्रीट फूड वेंडरों को होगी केवल पार्सल सुविधा की दुकान लगाने की अनुमति

रायपुर, 01

कोरोना संक्रमण के फैलाव की रोकथाम के उद्देश्य से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आज यहां जारी आदेश के तहत स्ट्रीट फूड वेंडर (पथ विक्रेताओं, खान-पान केन्द्र) केवल पार्सल व साथ दुकान लगाने की अनुमति होगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्त तथा नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को उक्त निर्देश तत्पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

क्रमांक: 1497/नसीम

TAGS:

 Print this article

